न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)
पीठासीन अधिकारी– श्री मती सीता शर्मा आर.ए.एस.

1. लखवीरसिंह पुत्र श्री चनणसिंह जाति जटसिख निवासी 16जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।

–वादी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व ,श्रीविजयनगर ।

– प्रतिवादी –

उपस्थित :– श्री प्रेमसिंह सैनी एडवोकेट – वादी की ओर से
तहसीलदार ,श्रीविजयनगर – पैरवकार राज

(वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट)

प्रकरण संख्या 34 / 2022
जी.सी.एम.एस. 2022 / 69

दिनांक : 15.02.2024

प्रकरण के संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार से है :–

कि वादी के द्वारा एक वाद पत्र अनवानी इस न्यायालय में पेश किया है कि वादी के नाम से चक 16जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 41 प.न. 158 / 395 का 3.099है. नहरी में 1550 / 3099 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 का खाता सं. 136 में व चक 16जीबी का मु.न. 9 प.न. 159 / 392 का 2.227है. में 759 / 2227हिस्सा भूमि जमाबन्दीसम्वत् 2072–2075 का खाता सं. 131 में है । उक्त भूमि वादी को पिता से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का नाम लखासिंह अकिंत है । वादी का वास्तविक नाम लखवीरसिंह है जो कि वादी के पहचान एंव पता संबंधित बने हुए दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड , परिवार राशन कार्ड , बैंक खाता पासबुक आदि में वादी का नाम लखवीरसिंह दर्ज है किन्तु वाद पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज करने के समय वादी का नाम लखवीरसिह के स्थान पर लखासिंह दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम लखवीरसिंह है। वादी का नाम जमाबन्दी में सहवन से लखवीरसिंह के स्थान पर लखासिंह अकिंत हो जाने से वादी को अपनी उपरोक्त भूमि खातेदारी भूमि पर भूमि सुधार हेतु ऋण प्राप्त करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने, विधिुत कनै. व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने व राजस्व कार्यो को करने तथा फसल विक्रय व अन्य काश्त संबंधी कार्यो को करने में भारी परेशानियों का सामना करना पडता

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

लखवीरसिंह अकिंत है व वादी को जमाबन्दी में वादी का नाम दूरूस्त करवाकर लखासिंह के स्थान पर लखवीरसिंह करवाये जाने बाबत कहा जिस पर वादी ने प्रतिवादी से सम्पर्क कर इस बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी के द्वारा इस बाबत आवश्वासन दिया जाता रहा जिस पर वादी सद्भावी विश्वास करता रहा किन्तु अन्ततः प्रतिवादी के द्वारा इस बाबत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में चाराजोही करने का कहकर दूरूस्ती से इन्कार कर दिया जिस पर वाद कारण प्राप्त होने पर अनवानी वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है व अनुतोष में चक 16जीबी की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 का खाता सं. 136 व131 में दर्ज वादी के नाम से भूमि का स्वंय को खातेदार टेनेन्ट होना बताकर व स्वंय का वास्तविक नाम लखवीरसिंह होने के कारण से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार टेनेन्ट लखासिंह के स्थान पर लखवीरसिह दर्ज किये जाने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरीये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी पैरवकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 16जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 41 प.न. 158/395 का 3.099है. नहरी में 1550/3099 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 का खाता सं. 136 में व चक 16जीबी का मु.न. 9 प.न. 159/392 का 2.227है. में 759/2227हिस्सा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 का खाता सं. 131 में लखासिंह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है गत रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी लखासिंह को उक्त रकबा विरासतन राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज हुआ है वादी के दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्डआदि में लखवीरसिंह दर्ज है मौके पर पूछताछ में लखवीरसिह व लखासिंह दौनो एक ही व्यक्ति के नाम है उक्त भूमि में सहखातेदारान द्वारा भी जवाब प्रस्तुत कर वादी लखवीरसिंह व लखासिंह दौनो नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया है उक्त रकबा में राजस्व रिकार्ड में यदि लखासिंह के स्थान पर लखवीरसिंह नाम दूरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है । चूँकि प्रतिवादीगण एंव सहखातेदारान ने वादी के वाद पत्र के तथ्यो से कोई एतराज प्रकट नहीं किया है और कोई विवाद नहीं है इसलिए तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी के वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया है कि वर्तमान जमाबनदी चक 16जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 41 प.न. 158/395 का 3.099है. नहरी में 1550/3099 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 का खाता सं. 136 में व चक 16जीबी का मु.न. 9 प.न. 159/392 का 2.227है. में 759/2227हिस्सा भूमि जमाबन्दीसम्वत् 2072–2075 का खाता सं. 131 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे लखासिंह के स्थान पर लखवीरसिंह दूरूस्त

ड अधिकारी
विजयनगर

Scanned with CamScanner

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधर पर वादी का वाद पत्र अ.धा. 88 आर. टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी चक 16जीबी. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 41 प.न. 158 / 395 का 3.099है. नहरी में 1550 / 3099 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 का खाता सं. 136 में व चक 16जीबी का मु.न. 9 प.न. 159 / 392 का 2.227है. में 759 / 2227हिस्सा भूमि जमाबन्दीसम्वत् 2072—2075 का खाता सं. 131 भूमि के राजस्व रिकार्ड में लखासिंह के स्थान पर लखासिंह उर्फ लखवीरसिंह दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी में दूरूस्ती कर लखासिंह के स्थान पर लखासिंह उर्फ लखवीरसिंह दर्ज करे । पत्रावली फैसला शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है ।

श्रीमती सीता शर्मा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर ।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner